राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 740/2010/जोधपुर.
2. अपील संख्या – 741/2010/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी', जोधपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शक्ति एन्टरप्राईजेज (प्रा.) लिमि., बोरानाड़ा, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. एम. मेड़तियां, अधिकृत प्रतिनिधि ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/03/2017

निर्णय

1. ये दो अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 35 व 36/आरवेट/जेयूबी/08–09 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.10.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2006–07 की प्रथम व द्वितीय तिमाही के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 12.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों के पक्षकार, तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. **अपील संख्या 740/2010** से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही के दौरान राज्य में वैट चुकाकर क्रय किये गये गेहूं पर शत–प्रतिशत आई.टी.सी. क्लेम किया गया था। किन्तु उक्त गेहूं से विनिर्मित चौकर (करमुक्त उत्पाद) का भी निर्माण कर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए चौकर पर आनुपातिक रूप से आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए रिवर्स टैक्स रूपये 96,891/– आरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी का पंजीयन दिनांक

लगातार..............2

16/03/17

01.04.2006 से निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त फर्म से की गई खरीद के पेटे चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. रूपये 23,949 / – रिवर्स किया गया। साथ ही ब्याज रूपये 2860 / – भी आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा चौकर के विक्रय पर रिवर्स की गई आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी तथा मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी से की गई खरीद के बिन्दु पर रिवर्स आई.टी.सी. को विधिसम्मत ठहराया गया। इसी प्रकार ब्याज राशि में भी तद्नुसार संशोधन किया गया।

4. **इसी प्रकार अपील संख्या 741 / 2010** से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 की द्वितीय तिमाही के दौरान राज्य में क्रय किये गये गेहूं पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. क्लेम किया गया था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चौकर पर आनुपातिक रूप से आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए रिवर्स टैक्स रूपये 1,01,100 / – आरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी फलौदी से की गई खरीद के पेटे चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. रूपये 32,050 / – रिवर्स किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा चौकर के विक्रय पर रिवर्स की गई आई.टी.सी. के बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी तथा मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी से की गई खरीद के बिन्दु पर रिवर्स की गयी आई.टी.सी. को विधिसम्मत ठहराया गया। इसी प्रकार ब्याज की राशि में तद्नुसार संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर के पंजीकृत व्यवहारियों को विक्रय किये गये माल पर आई.टी.सी. को कम नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. रूपये 41,563 / – कम की गयी, इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि माल के खरीद मूल्य को आंकलित कर आई.टी.सी. को कम करने की कार्यवाही करें।

5. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों में चौकर के करमुक्त विक्रय के सन्दर्भ में रिवर्स आई.टी.सी. को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स राकेश ट्रेडिंग कम्पनी से की गयी खरीद के सम्बन्ध में रिवर्स की गयी आई.टी.सी. व राज्य के बाहर के पंजीकृत व्यवहारियों को गयी खरीद के सम्बन्ध में कोई अपीलें प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। अतः हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में केवल चौकर के करमुक्त विक्रय प़र रिवर्स की गयी आई.टी.सी. के सन्दर्भ में ही निर्णय किया जाना है।

16/03/17

लगातार...............3

6. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण (**माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590—591 / 2008 / श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009)** के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03** के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में गेहूं की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल चौकर की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर वेट चुकाकर गेहूं का क्रय किया जाकर इससे मैदा व सूजी का निर्माण किया गया है तथा इस निर्माण प्रक्रिया में चौकर एक आवश्यक बाई—प्रोडक्ट है। व्यवहारी द्वारा मैदा व सूजी विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. विधिनुसार क्लेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कच्चे माल से निर्मित कर मुक्त चौकर की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी, द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स व ब्याज को उचित रूप से अपास्त किया गया है।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

16/03/17

लगातार..............4

9. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये गेहूं का उपयोग मैदा व सूजी के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें चौकर कर मुक्त उत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त गेहूं के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज का आरोपण किया गया है।

10. इस सम्बन्ध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03** के अवलोकन से स्पष्ट है कि **मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009** के विरूद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई **एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193–194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011** द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में निम्न सिद्धान्तं प्रतिपादित किया गया है :–

> "20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.
>
> 21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

16/03/17

लगातार..............5

11. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार किये जाने को विधिसम्मत ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरणों में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चौकर की बिक्री के अनुपात में आरोपित रिवर्स टैक्स व ब्याज की पुष्टि करते हुए इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाते हैं।

12. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।

16/03/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य